रतलाम, धार, इंदौर से वाहन चुराने वाले दो बदमाश धराए

नंदानगर के पास डॉक्टर कॉलोनी में रखी थीं बाइक, की गई बरामद

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

परदेशीपुरा पुलिस ने दो ऐसे युवकों को पकड़ा है, जो रतलाम, धार, इंदौर के कई थाना क्षेत्रों से बाइक चुराते थे। चोरी की बाइक नंदानगर के समीप डॉक्टर कॉलोनी में सुरक्षित रखते थे। उनके पास से 5 बाइक बरामद की हैं। वारदात के दौरान पहचान छुपाने बदमाश नकाब पहनते थे।

टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि वाहन चोरी रोकने लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एमआर-4 ब्रिज के नीचे चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी बाइक और स्कूटर से जा रहे दो युवकों को पकड़ा। युवकों से वाहन के दस्तावेज मांगे तो वे पुलिस को बरगलाने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने विजयनगर, पलासिया से बाइक-स्कूटर चोरी करना कबूला। मामले में आशीष गोस्वामी निवासी चाचोड़ा जिला गुना हाल निवासी महालक्ष्मीनगर तथा राहुल माली निवासी चाचोड़ा जिला गुना हाल मुकाम निवासी महालक्ष्मी नगर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हीरानगर थाना क्षेत्र में भी वारदात करना कबूला। आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

चोरी की बाइक सुरक्षित जगह छुपा देता था नाबालिग

इंदौर। पुराना चोर अपने साथियों के साथ बाइक चुराकर उसे नाबालिग को देता था। नाबालिग चोरी की बाइक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता था। चोर ने तुकोगंज, गांधीनगर और बाणगंगा थाना क्षेत्र में वारदात की थी।

तुकोगंज थाना प्रभारी जितेन्द्र यादव ने बताया कि कई दिनों से बाइक चोरी की वारदातें होने की जानकारी मिल रही थी। घटनाओं को रोकने ऑपरेशन ग्राउंड पुलिसिंग अभियान शुरू किया गया था।

अभियान के तहत व्यावसायिक क्षेत्रों, मॉल के पार्किंग, सिल्वर मॉल, 56 दुकान व अन्य क्षेत्रों में पुलिस टीम ने भ्रमण किया। 56 दुकान और शैल्बी अस्पताल पर आने वाले लोग निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था न होने पर आसपास वाहन पार्क करते हैं। पुलिस को यह भी पता चला था कि तुकोगंज थाना क्षेत्र का पुराना चोर शुभम पिता मदन कोरी निवासी मुराई मोहल्ला छावनी दो-तीन दिन से क्षेत्र में घूम रहा है। आशंका है... उसने कोई बाइक चुराई है। पुलिस ने उसे पकड़ने के कई प्रयास किए। इसी बीच, मुखबिर से सूचना मिली कि वह मुराई मोहल्ला में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर बाइक चुराता था।

युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

इंदौर। एमआईजी थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक रोहन पिता जगदीश निवासी सोमनाथ की चाल ने रविवार देर रात फांसी लगा ली। सुबह जब परिवार के सदस्यों ने देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ था। स्वजन ने बताया कि रात में वह घर आया और बड़े भाई के बच्चों को खिलाने के बाद बाहर चले गया था। उसके बाद घर आया और अपने कमरे में सोने चले गया था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

एटीएम से पैसे निकाल घर जा रहे युवक से छीने पैसे

छीना-झपटी में कुछ नोट फटे, पुलिस ने घटना से किया इनकार

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

एटीएम से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे युवक को बदमाशों ने रोका और पैसे छीनने लगा। इस दौरान कुछ नोट फट गए। बदमाश नोट लेकर भाग निकले। मामले में खजराना पुलिस ने फरियादी की शिकायत दर्ज नहीं की।

खजराना के अशरफी नगर में बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से युवक ने 30 हजार रुपए निकाले थे। वह नोट लेकर बाइक से अपने घर जा रहा है, तभी रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका और रुपए छीनने लगे। शोर मचाने पर बदमाश नोट लेकर भाग निकले। बदमाश नशे के आदी बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर सोशल मीडिया के कुछ ग्रुपों पर अलग-अलग फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दो युवक लड़ते छीना-झपटी करते और फिर एक युवक वहां से भागते हुए दिख रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि युवक जब एटीएम से रुपए लेकर निकला था, तभी उसके पीछे बदमाश लग गए और आयशा मस्जिद के आगे झूमा-झटकी कर पैसा छीनने लगा। मामले में थाने पर बात की गई तो किसी तरह की शिकायत न होने की बात कही गई।

सिपाही ने दिखाई ईमानदारी

ढक्कनवाला कुआ स्थित एसबीआई के एटीएम में 53,000 रुपए तुकोगंज थाने के आरक्षक को पड़े मिले हैं। सिपाही ने उक्त रुपए थाने में जमा करा दिए। अब बैंक वालों से जानकारी जुटाकर पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचाए जाएंगे। आरक्षक की इस ईमानदारी की थाना स्टाफ ने प्रशंसा की है।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, आवासों में लगाएं दो कैमरे

अपराध रोकने के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

बढ़ते अपराधों को रोकने पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर फोकस कर रही है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासों के बाहर दो कैमरे लगाने की एडवाइजरी जारी की है। कैमरे लगने से काफी हद तक अपराधों पर न सिर्फ अंकुश लगेगा, बल्कि अपराध कारित होने पर बदमाशों को पकड़ने में भी पुलिस को मदद मिलेगी।

शहर में रोजाना मोबाइल, मंगलसूत्र और नकदी लूट की घटनाएं होती हैं। चोरी, नकबजनी और मारपीट की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अधिकांश मामलों में आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे की मदद मिल रही है... खासकर प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरे से पुलिस को अपराधियों की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। गलियों, बस्तियों में अपराध होने पर कई बार बदमाश को पकड़ने में पुलिस को मशक्कत करना पड़ती है। वारदात रोकने कैमरे लगाए जाना चाहिए। कैमरे उच्च गुणवत्ता के हों, 15 दिन का स्टोरेज रखा जाए, कैमरों का मुंह सड़क की ओर रखें, नाइट विजन बेहतर हो, पॉवर सप्लाय को इन्वर्टर से जोड़ा जाए, ताकि बिजली नहीं होने पर बैकअप रहे। कैमरे चमकदार की बजाय रिकॉर्डिंग वाले हों।

दिखाएं जागरूकता... लगेगा अपराधों पर अंकुश

कैमरे लगने से आमजन की सुरक्षा के साथ अपराधों पर भी अंकुश लगेगा। इसी उद्देश्य से कैमरे लगवाने पर जोर दिया जा रहा है।

– राकेश गुप्ता, पुलिस आयुक्त।

9 अपराधों से लदे बदमाश से लैपटॉप-मोबाइल जब्त

कार्रवाई : घर में घुसकर की थी वारदात, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

9 अपराधों से लदे बदमाश को खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए हैं। बदमाश ने कुछ दिन पहले घर में घुसकर यह उपकरण चुराए थे।

पुलिस को फरियादी रोहन पिता रणजीत कश्यपा निवासी स्कीम नंबर 94 ने बताया कि 3 अगस्त को रात 12.30 बजे एचपी कंपनी का लैपटॉप, दो मोबाइल टेबल पर रखकर सो गया था। सुबह जब उठा तो दरवाजा खुला था। टेबल पर रखा लैपटॉप और मोबाइल गायब थे। मामले में खजराना पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर चोरी का केस दर्ज किया था। आरोपी को पकड़ने टीम गठित करने के साथ ही मुखबिर तंत्र सक्रिय किए थे। घटनास्थल के आसपास लगे 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए। फुटेज में आए हुलिए के आधार पर हाशिम अली पिता राजा अजर अली निवासी लंगरखाना के पास नाहरशाह वली दरगाह खजराना को पकड़ा। आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। लत पूरी करने चोरी की वारदात करता है। खजराना थाने में आरोपी पर चोरी, मारपीट और हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है।

वारदातों को लेकर की जा रही कड़ी पूछताछ

आलीराजपुर के बदमाश ने चुराई पिकअप, धराया

दो साथी फरार, रैकी के बाद की थी वारदात

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

आलीराजपुर के तीन बदमाशों ने रैकी के बाद पिकअप वाहन को चुरा लिया। सीसीटीवी कैमरे में आए फुटेज से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एक आरोपी पकड़ा गया। उसके दो साथियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

जोन-1 के एडिशनल पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा के अनुसार... फरियादी कैलाश कुमावत ने एरोड्रम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने पिकअप वाहन बाबाश्री गार्डन में खड़ी की थी। तीन अगस्त की रात अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आए फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुभम् सोलंकी निवासी आलीराजपुर को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने बताया कि वह कुछ दिन पहले दोस्तों के साथ इंदौर आया था। यहां रैकी के बाद वाहन चुराया था। आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है।

निजी-शासकीय एंबुलेंस संचालकों के बीच चले चाकू, अस्पताल में भर्ती

इंदौर। शहर के अस्पतालों में एंबुलेंस संचालकों के आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के मेदांता अस्पताल के पास चर्चा करने के लिए बैठे निजी और शासकीय एंबुलेंस संचालकों के आपस में विवाद मे चाकू चल गए। पुलिस के मुताबिक निजी और शासकीय एंबुलेंस संचालकों के बीच विवाद हुआ है। इसमें दिव्यांश और पंकज को चोट आई है। जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल यहां एंबुलेंस संचालकों के बीच रेड हेल्थ एंबुलेस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए चर्चा चल रही थी। तभी विवाद की स्थिति बन गई। इसमें एंबुलेंस वेलफेयर सोसायटी के पंकज नामदेव भी घायल हुए है। इन्होंने आरोप लगाया है कि एमवाय अस्पताल में लामा गिरोह संचालित करने वाले दीपक और उसके साथियों ने मारपीट की है।

पुलिसकर्मी बताकर थाने के पास युवक से मारपीट

दोपहिया वाहन से आए थे बदमाश, दर्ज किया गया केस

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

भंवरकुआ थाना क्षेत्र में युवक के साथ रविवार को आरोपितों ने मारपीट की। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताते रहे और थाने के पास उसके साथ मारपीट की। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक... हिमांशु पिता हरिओम चौरसिया ने बताया कि दो अज्ञात युवक दोपहिया वाहन से आए और कहने लगे कि दोस्त बुला रहा है। जब बाहर आया तो कहने लगे, थाने चलते हैं... बात करना है। कुछ दूरी पर अन्य युवक भी खड़े हुए थे।

इस दौरान एक आकर मेरे साथ बैठ गया। उनमें से एक के वाहन का नंबर एमपी-09 एक्सएच-7435 था। वह भोलाराम उस्ताद मार्ग तक लाए। कहने लगे कि तुने किससे लड़ाई की थी... याद कर। सभी ने मिलकर हाथ-मुक्कों, बेल्ट और कड़े से मारपीट की। इसके बाद वहां से भाग निकले। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। हालांकि, पुलिस को यह मामला आपसी झगड़े का लग रहा है, जो वाहन नंबर बताया... वह शाजापुर का है। पुलिस उसी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

डीएमआई हाऊसिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड — मांग सूचना

जबकि नहीं उल्लेखित ऋणियों/सह-ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज और मूलधन की अदायगी में विफल चूक की है। डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत चालीस दिनों की सूचना जारी किए गए निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में मंजूर किया गया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें निम्नलिखित ऋणियों/ गारंटरों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उल्लिखित राशि + अनुबंध की दर पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा जाता है।

क्र. सं.	ऋणियों का नाम व पता	सम्पत्ति का विवरण	ऋण राशि (रु.पये)	बकाया राशि (रु.पये)	नोटिस दिनांक
1.	1. गजेंद्र सीवान पुत्र शीतला प्रसाद, 2. विशाल सीवान पुत्र गजेंद्र सीवान 3. सीमा सीवान पत्नी गजेंद्र सीवान 4. ओमप्रकाश वर्मा पुत्र रामकुंज वर्मा (गारंटर के रूप में) सभी निवासी:- मकान नं.123, वार्ड नं. 35, ग्राम मेहतवास नागदा, खाचरौद, मौजूदा मालव मंदिर के पास, नागदा, उज्जैन, मध्यप्रदेश 456331, यहां भी:- वेस्ट कास्टिमेंटेक एमपीईबी नागदा खाचरौद, मेन रोड के पास, मध्यप्रदेश 456331, यहां भी:- मकान नं. 123, वार्ड नं. 35, नगर पालिका सीमा नागदा, ग्राम मेहतवास, मोहल्ला बावाबाड़ी (नदी की तरफ) मेहतवास नागदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश 456331. यहां भी:- एक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विडला ग्राम नागदा, खाचरोद, मेन रोड के पास, मध्यप्रदेश 456331. यहां भी: 111, मेहतावास, नागदा, उज्जैन, मध्यप्रदेश 456331. यहां भी: हाउस/ बिल्डिंग/अपार्टमेंट 605, गली/रोड/लेन एवरनेट हॉलोनी, सैडमार्क ग्रेन नगर, गांव/कस्बा/शहर नागदा, जिला उज्जैन, पोस्ट-सॉर्टिंग विसाखापत्तनम नागदा, मध्यप्रदेश 456331	'मकान नंबर 123, वार्ड नं. 35, नगर पालिका सीमा नागदा, ग्राम मेहतवास, मोहल्ला बावाबाड़ी (नदी की तरफ) मेहतवास नागदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश 456331 में स्थित है।	रु. 4,98,183/- ऋण खाता संख्या HFC0026356031	रुपये 3,59,077/- जिसमें दिनांक 13 मई, 2024 तक उपार्जित ब्याज, अन्य बकाया एवं शुल्क शामिल है।	23/05/2024 एनपीए दिनांक 05/05/2024

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, कोई भी ऋणी प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में निर्दिष्ट अपनी किसी भी प्रतिभूति आस्ति को बिक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा।

स्थान: उज्जैन, ,एम.पी.
दिनांक: 05.08.2024
वास्ते डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड,
प्राधिकृत अधिकारी

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट पहचान नं. एल65110एमएच1985पीएलसी038137).
कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिन्द्रा बैंक लि., पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452001

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा 29-03-2023 को लिया गया है। जिसे ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओं) का नाम/ जमानतदार(रों) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	सुरक्षित बंधक का विवरण (अचल संपत्ति)
ऋण खाता क्रमांक एलएपी1888779486 (सीआरएन क्रमांक 743313703) करन बुक सेंटर, अपनी मालिक श्रीमती पूजा बड़के के माध्यम से...उधारकर्ता, दुकान क्रमांक 10, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. मां शारदा साहित्य सदन, इसके स्वामी श्री पवन बड़के के माध्यम से...सह-उधारकर्ता, दुकान नंबर 14, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. श्रीमती पूजा बड़के...सह-उधारकर्ता/मालिक/बंधककर्ता दुकान क्रमांक 10, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. यहां भी: फ्लैट नंबर 309, तीसरी मंजिल श्री कल्याणम रेजीडेंसी नंदलालपुरा इंदौर 452001. श्री पवन बड़के...सह-उधारकर्ता/मालिक/बंधककर्ता दुकान नंबर 10, सुभाष चौक पार्किंग खजूरी बाजार इंदौर 452001 म.प्र. यहां भी: फ्लैट नंबर 309, तृतीय तल श्री कल्याणम रेजीडेंसी नंदलालपुरा इंदौर 452001।	डिमांड नोटिस दिनांक 22 सितंबर 2023, रु. 22,16,230.20/- (रुपये बाईस लाख सोलह हजार दो सौ तीस और बीस पैसे मात्र) 22 सितंबर 2023 तक	आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा अपार्टमेंट क्रमांक 309 तीसरी मंजिल पर है जिसका माप क्षेत्र 440 वर्ग फीट है यानी 40.89 वर्ग मीटर। बहुमंजिला इमारत में जिसका नाम 'श्री कल्याणम रेजीडेंसी' है, जो नगर पालिका हाउस क्रमांक 40, 41, और 42 (पुराना क्रमांक 70 और 66) पर स्थित है, वर्तमान नगर पालिका हाउस क्रमांक 34, 35, और 36 नंदतालपुरा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। सीमा इस प्रकार है: पूर्व: अल्लाबेली का घर, पश्चिम: आम मार्ग, उत्तर: अपार्टमेंट क्रमांक 308, दक्षिण: अपार्टमेंट क्रमांक 310

आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
रु. 24,35,400/- (रु. चौबीस लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र)	रु. 2,43,540/- (दो लाख तैंतालीस हजार पांच सौ चालीस रुपए मात्र)

बोली वृद्धि राशि	अचल संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक	नीलामी का दिनांक/समय
Rs. 50,000/-	13/08/2024 11:00 hrs – 12:00 hrs	27/08/2024 from 11:00 hrs to 12:00 hrs

ऑफर/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :- 26/08/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट देख सकते हैं यानी https://www.bankeauctions.com ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर : (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धरणी कृष्ण, मोबाइल नंबर: 9948182222 और ई-मेल आईडी: mpcg@c1india.com और support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते है।। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे केएमबीएल को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे; ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (https://www.bankeauctions.com) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर केएमबीएल द्वारा वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा।
सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा 15 दिनों का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निर्वहन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351 पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।
विशेष निर्देश:- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।
स्थान: इंदौर (म.प्र.) दिनांक : 06.08.2024
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
खंडवा शाखा पता : प्रथम मंजिल, गोवर प्लाजा, आनंद नगर, मेन रोड, एसबीआई के सामने, खंडवा-450001.
इंदौर शाखा का पता:- बेंचमार्क बिजनेस पार्क, पांचवी मंजिल, ब्लॉक नं. ए-3, स्कीम नं. 54 पीयू-4 सत्य साई स्कूल के सामने, विजय नगर, इन्दौर - 452010

परिशिष्ट IV [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) देखें]
कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में उल्लिखित ऋणधारकों को भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान किया गया था।
उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

1. उधारकर्ता का नाम: शिव गोस्वामी, शिव गोस्वामी (स्वर्गीय नंदलाल गोस्वामी के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से) बकाया: रु. 11,20,988/- (ग्यारह लाख बीस हजार नौ सौ अठासी मात्र)
मांग नोटिस दिनांक: 21-05-2024 कब्जे की तिथि: 02-08-2024
अचल संपत्ति का विवरण
खड़वा शहर में स्थित आवासीय संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, सिंधी कॉलोनी, सिंधु सम्राट दाहिर सेन वार्ड, प्लॉट नंबर 88/1, नजूल ब्लॉक नंबर 91, 753 वर्ग फीट, तहसील और जिला: खंडवा, मध्य प्रदेश-450001, और घिरा हुआ: पूर्व: सड़क पश्चिम: अन्य भूमि उत्तर: प्लॉट नंबर 95 दक्षिण: प्लॉट नंबर 88/2

2. उधारकर्ता का नाम: कमला बाई, कमला बाई (स्वर्गीय राधेश्याम करोले की उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत में) बकाया: रु. 8,64,762/- (आठ लाख चौसठ हजार सात सौ बासठ रुपए मात्र)
मांग नोटिस दिनांक: 22-05-2024 कब्जे की तारीख: 02-08-2024
अचल संपत्ति का विवरण
प्लॉट क्रमांक 142 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 20 40 = 800 वर्ग फीट है, आवासीय कवर्ड भूमि सरलाव रोड, ग्राम बरवाहा, पी.एच. क्रमांक 19/48, तहसील बरवाहा, खरगोन, सर्वे क्रमांक 47/3 और 47/4, भूमि क्षेत्रफल 3.184 हेक्टेयर, कॉलोनी 'सांवरिया विहार', खरगोन, मध्य प्रदेश-451001, और सीमा: पूर्व: प्लॉट क्रमांक 154 पश्चिम: कॉलोनी रोड उत्तर: प्लॉट क्रमांक 145 दक्षिण: प्लॉट क्रमांक 141।

दिनांक : 02.08.2024
स्थान : इंदौर
हस्ते/- प्राधिकृत अधिकारी,
(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)